न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 47/21 GCMS NO 2021/152

1. महेश
2. रमेश
3. हरकेश
4. संतोष
5. हरीश पुत्रान स्व0 किशोरी लाल जातियान जोगी निवासीयान योगियो का पुरा ,कालेज के पास उदई कलां तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पों0

(अपील विरूद्व मु0नं0 143/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.4.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रैस्पो0 श्री पैरोकार सरकार

दिनांक 13.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.4.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम उदई कलां मे आराजी साबिक ख0न0 2422 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा व 2518 रकबा 15 विस्वा का आवंटन वादीगण के पिता किशोरी लाल पुत्र चिरंजी लाल योगी को सन 1983 मे किया गया। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 7.2.02 को हो गया उसके वादीगण जायज वारिस है। उक्त भूमि पर वादीगण काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से मुश्तहक होते चले आ रहे है। उक्त भूमि के नवीन ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व ख0न0 4703 रकबा 0.46 है0 कायम कर सिवायचक मे दर्ज कर दिया गया। जो वादीगण के पिता की आवंटन भूमि है। वर्तमान मे उक्त भूमि सिवायचक मे दर्ज होने के कारण वादीगण के हक हकूक पर अंदेशा पैदा हो गया है। प्रतिवादी के प्रतिनिधी पटवारी द्वारा वादीगण को भूमि से बेदखल करने व कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी गई। यह वाद कारण उत्पन्न होने से वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व 4703 रकबा 0.46 है0 ग्राम उदई कलां का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित फरमाया जावे। [illegible] मे बहक वादीगण इन्द्राज खातेदारी की दुरूस्ती की जावे। भूमि सिवाययक से कम [illegible] वर्तमान इन्द्राज निरस्त फरमावे व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग की उक्त आराजीयात मे किसी [illegible] नही करे ना ही अ[illegible]सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तिनिधी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। साबिक ख0न0 2422 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व ख0न0 2518 रकबा 15 बिस्वा का आवंटन अपीलांट के पिता किशोरी लाल पुत्र चिरंजी लाल योगी को सन 1983 मे हुआ था जिसके सेटलमेंट ने नवीन ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व ख0न0 4703 रकबा 0.46 है0 कायम किये जाकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। सन 1983 मे तहसील गंगापुर सिटी मे भू प्रबंध की कार्यवाही विचाराधीन थी इस कारण भू प्रबंध के समय तहसीलदार के लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 106 ता 109 मे यह प्रावधान है कि भू प्रबंध के दौरान धारा 106 व 107 के अधीन समस्त कार्यो का निस्पादन भू प्रबंध अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तहसीलदार के अधिकार दौराने भू प्रबंध सीज कर दिये जाते है क्योकि समस्त रिकार्ड भू प्रबंध को भेज दिया जाता है। सवाई माधोपुर जिले मे भू प्रबंध की कार्यवाही 5 मई 1977 मे शुरु की गई तथा दिनांक 9 मई 1984 को वाई गजट नोटिफिकेशन बंद कर दी गई तथा 1.1.86 को नया रिकार्ड अस्तित्व मे आ गया। अपीलांट के पिता को आवंटन पुराने नम्बर से हुआ था दिनांक 1.1.86 को नये नम्बर अस्तित्व मे आ गये इसलिए आवंटन का नामा0 नही खोला जा सका। अपीलांट के पिता को किया गया आवंटन अभी भी निरस्त नही हुआ है । इस संबंध मे रेवेन्यू लॉ एवं प्रोसेसिग मे प्रश्नोतरी दर्ज की गई है जिसमे अंकित किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 107 की अधिसूचना निकलने के बाद तहसीलदार को नामा0 तस्दीक करने के अधिकार नही रहते है। इस संबंध मे माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी मत प्रतिपादित किये है कि सेटलमेट की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार को नामा0 तस्दीक करने के अधिकार नही होते है। इस महत्वूपूर्ण तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट उक्त भूमि पर फसल निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। आवंटन के समय ही कब्जा अपीलांट के पिता को मौके पर संभला दिया गया। तभी से उक्त भूमि अपीलांट के पिता की कब्जे काश्त मे रही अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांट निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। उक्त भूमि अपीलांट के पिता को आवंटन किये जाने के पश्चात निरन्तर काबिज करते हुए को सिवायचक घोषित कर दिया गया। जो सरकार द्वारा मनमानी तौर पर किया गया है। रेवेन्यू कर्मचारियो द्वारा उक्त भूमि को जानबुझकर सिवा[illegible]त किया गया है। जिस पर अपीलांट के पिता व अपीलांट काबिज काश्त [illegible] एवं अपीलांट को काबिज रहते हुए 38 वर्ष का समय हो[illegible] अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपास्त योग्य है। दावे मे तहसीलदार के बयान होना आवश्यक था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है। गवाह डीडब्लू 1 ने अपने बयानो मे स्वीकार किया है कि सेटलमेंट की गलती से वादीगण दुरूस्त कराने का अधिकारी है। जिसे भी अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। नकल आवंटन आदेश मे आवंटन होना नकल कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श 4 से स्पष्ट साबित है। उक्त भूमि पर कब्जा दिनांक 28.1.83 को आवंटी किशोरीलाल को संभलाया है इसकी पटटा फीस आवंटी द्वारा जमा करवाई गई। जिसकी रसीद प्रदर्श 3 है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पिता का कब्जा निरन्तरता से जारी है। विवादित आराजीयात पर कब्जा होने का कोई दस्तावेज रेस्पो0 द्वारा पेश नही किया गया है। जिससे प्रमाणित हो कि अपीलांट व अपीलांट के पिता का उक्त भूमि पर कभी कब्जा पृथक किया हो। आवंटन होने व कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आज दिनांक तक कोई ऐसा दस्तावेज जो अपीलांट व अपीलांट के पिता को जारी नही किया गया है जिससे की अपीलांट के कब्जे के विरूद्व जाता है। अपीलांट उक्त भूमि पर आज भी काबिज काश्त है एवं फसल काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाकर आराजी ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व ख0न0 4703 रकबा 0.46 है0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट के पक्ष मे जारी किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए गलत रूप से हुए इन्द्राज सिवायचक को हजफ फरमाया जावे।

जबाब मे पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट के पिता किशोरी लाल की मृत्यु के पश्चात उसके जायज वारिसान के संबंध मे अपीलांट ने कोई दस्तावेज पेश नही किये है। वादीगण/अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। अपीलांट के पिता को भूमि ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व 4703 रकबा 0.46 है0 का आवंटन होना बताया है। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल हाल ख0न0 4702 एवं 4703 साबिक न0 2422 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा से बने है। वादी ने अपने वाद पत्र मे साबिक ख0न0 2518 रकबा 15 विस्वा का आवंटन होना बताया है परन्तु साबिक के हाल ख0न0 कौनसे बने है यह अंकित नही किया है। इसके कारण वाद पत्र खारिज किया है जो विधि अनुसार है। आवंटन के समय राजस्व रिकार्ड मे अमल किस कारण से नही हुआ इसके सबंध मे कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुंत नही किया गया है। भूमि हाल ख0न0 4702 व 4703 राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। वादीगण/अपीलांट का भूमि पर कब्जा सिद्व नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र विधि अनुरूप खारिज किया है। उक्त भूमि कभी भी अपीलांट के पिता के नाम नही रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि अनुरूप है। तनकी संख्या 1 ता 3 को वादी/अपीलांट साबित नही करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया, अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के आवंटन आदेश दिनांक 28.1.83 के द्वारा भूमि साबिक ख0न0 2422 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा एवं ख0न0 2518 रकबा 15 विस्वा का आवंटन हुआ थां जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल नवीन ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व 4703 रकबा 0.46 है0 कायम किये जाकर सिवायचक दर्ज कर दी गई। अपीलांट का कथन रहा कि सन 1983 मे तहसील गंगापुर सिटी मे भू प्रबंध की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हो सका क्योकि भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान तहसीलदार के लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 106 ता 109 के तहत समस्त कार्यो का निस्पादन भू प्रबंध अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तहसीलदार के अधिकार दौराने भू प्रबंध सीज कर दिये जाते है क्योकि समस्त रिकार्ड भू प्रबंध को भेज दिया जाता है। सवाई माधोपुर जिले मे भू प्रबंध की कार्यवाही 5 मई 1977 मे शुरू की गई तथा दिनांक 9 मई 1984 को वाई गजट नोटिफिकेशन बंद कर दी गई तथा 1.1.86 को नया रिकार्ड अस्तित्व मे आ गया। अपीलांट के पिता को आवंटन पुराने नम्बर से हुआ था दिनांक 1.1.86 को नये नम्बर अस्तित्व मे आ गये इसलिए आवंटन का नामा0 नही खोला जा सका। पैरोकार सरकार का कथन रहा कि ग्राम उदईकलां की चारागाह भूमि ख0न0 5330/6374 रकबा 0.80 है0 वेयर हाउस निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमे वादग्रस्त भूमि चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिए सिवायचक से चारागाह दर्ज करने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भिजवाये जा चुके है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 6.3.20 के स्पष्ट अंकन है कि विवादित आराजीयात ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व 4703 रकबा 0.46 है0 बारानी 2 मौके पर खाली पडा होना अंकित किया है। आवंटी के पुत्र हरकेश के बयान दिनांक 22.1.19 मे बयान दर्ज किये है कि उसके पिता को कौनसे नम्बरो पर आवंटन हुआ था और कितनी जमीन आवंटित हुई थी। इस प्रकार अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कब्जा सिद्व नही होता है। अपीलांट द्वारा कब्जे के बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। चूकिः विवादित आराजीयात वेयर हाउस निर्माण हेतु अधिग्रहित चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर के यहॉ विचाराधीन है। अपीलांट विवादित आराजीयात पर कब्जा सिद्व करने मे असफल रहने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने एवं खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 143/13 निर्णय व डिकी दिनांक 12.4.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राज्य अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner